



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-91

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 274630 दिनांक 27/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Nikhil Jain S/o Nirmal Kumar Jain	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री शिचरण	213	138.88 SQ. YARD	Private	NARAYAN VIHAR-K Sector/Block-	Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदक श्री निखिल जैन पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार के ब्लॉक के आवासीय भूखण्ड संख्या 213 क्षेत्रफल 138.88 व0ग0 का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार के ब्लॉक के आवासीय भूखण्ड संख्या 213 क्षेत्रफल 138.88 व0ग0 का पट्टा श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री शिचरण के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दिनांक 21.04.2010 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान श्रीमती कविता शर्मा पत्नी श्री संदीप कुमार भारद्वाज को किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 03.09.2025 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान आवेदक श्री निखिल जैन पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन को किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Nikhil Jain S/o Nirmal Kumar Jain को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिथियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004